चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 03.03.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(2). आज दिनाँक 03.03.024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव को शान्तिपूर्ण और भयमुक्त सम्पन्न कराए जाने हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ श्री अजीत कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में एस0एस0बी फोर्स के जवानों ने थाना क्षेत्र के ग्राम चिबलहा,ग्राम बबुरी,ग्राम खप्टिहा एवं ग्राम नीवी के साथ इन ग्रामों अन्तर्गत मतदान केन्द्रो में एरिया डोमिनेशन किया गया साथ ही आम जनता को भरोसा दिलाया कि निर्भीक होकर मतदान करें। इस दौरान मुख्य सड़को में बने पुल पुलिया की भी सघन चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री शिवमणि मिश्रा, उ0नि0 श्री चंद्रमणि पांडेय तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्ता राजकुमारी पत्नी फेरम निवासी सूरवल थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के विरुद्ध थाना सरधुवा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

10 लीटर कच्ची शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री शिवमणि मिश्र
2. उ0नि0 श्री चंद्रमणि पांडेय

3. आरक्षी राहुल पुरी
4. महिला आरक्षी श्यामलली

(4). पुलिस अधीक्षक श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 04 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(क). निरीक्षक अपराध श्री प्रभुनाथ यादव थाना मानिकपुर तथा उनके हमराही आरक्षी अजीजुद्दीन मु0अ0सं0 113/2002 धारा 13 जुआ अधिनियम के वारंटी अभियुक्त अनिकेश पुत्र पहाड़िया निवासी वाल्मीकि कस्बा मानिकपुर को गिरफ्तार किया गया।

(ख). उ0नि0 श्री अनिल कुमार मिश्र चौकी प्रभारी हरदीकला व उनके हमराही आरक्षी सुलभ पटेल द्वारा मु0अ0सं0 75/019 धारा 323,498A भादवि0 व 3/4 डीपी एक्ट के वारंटी अभियुक्त शिवकुमार पाल पुत्र छोटेलाल निवासी लुढ़ौता चौकी हरदीकला थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया।

(ग). उ0नि0 अरविंद कुमार थाना रैपुरा तथा उनके हमराही आरक्षी राममूरत मिश्रा सिंह द्वारा मु0अ0सं0 57/016 धारा 363 भादवि0 व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट के वारंटी अभियुक्त मुन्नू भारद्वाज पुत्र श्यामलाल निवासी भौंरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(घ). उ0नि0 श्री चंद्रमणि पांडेय थाना सरधुवा व उनके हमराही आरक्षी राहुल पुरी द्वारा मु0अ0सं0 36/2020 धारा 323,353,504,506 भादवि0 के वारंटी अभियुक्त शिवबरन पुत्र मेदनी प्रसाद निवासी औदहा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।